1764/365
ज्ञापांक......................./एक्स.एल.
XL (90)74/18
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना,

दिनांक 16.04.2018

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल सहित),
बिहार।

विषय - बृहद प्रदर्शन/बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण करने के संबंध में।

....

आये दिन विभिन्न कारणों से संगठित/असंगठित समूहों द्वारा भारत बंद/बिहार बंद या बृहत स्तर पर प्रदर्शन के आयोजन होते हैं जो प्राय: बाद में हिंसक हो जाते हैं और सरकार एवं जनता की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। इन अवसरों पर यातायात भी बाधित होता है और आम जनता को कठिनाईयों तथा कभी-कभी हिसांत्मक झड़प का भी सामना करना पड़ता है। अभी हाल में दिनांक 02.04.2018 एवं 10.04.2018 को भी ऐसे बन्द के आयोजन हुए थे। ऐसे अवसरों पर पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है :-

(1) बन्द इत्यादि की सूचना/आसूचना प्राप्त होने पर विशेष शाखा द्वारा आसूचना संसूचित की जाती है और यह अपेक्षा की जाती है कि आप तत्काल उस सूचना को थाना स्तर पर पहुँचाते हुए थाना से बन्द के आयोजक, सक्रिय सदस्य, बन्द की प्रकृति एवं आकार प्रकार का ब्यौरा प्राप्त करें और तद्नुसार तैयारी करें ताकि बन्द को नियंत्रित किया जा सके। किन्तु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। एक तरफ पुलिस मुख्यालय से पत्र जाते रहते है, और दूसरी तरफ नीचे से कोई आसूचना नहीं मिलती हैं न ही ऐसे प्रयास होते हैं कि बन्द /प्रदर्शन को रोका या नियंत्रित किया जा सके।

(2) अत: निर्देश दिया जाता है कि बन्द की आसूचना थाना में देते हुए थाना प्रभारी को यह जिम्मेवादी दी जाय कि वे अपने क्षेत्र में आयोजकों का पता लगायें और उनकी सही योजना की जानकारी प्राप्त करें थाना ससमय उनसे सम्पर्क कर स्पष्ट करें कि उन्हें शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, हिसांत्मक और विधि-व्यवस्था बिगाड़ने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।थाना आयोजकों पर निरंतर नजर रखेगा। आजकल सोशल मीड़िया भी बन्द आदि के आयोजन में सक्रिय है। अत: सोशल मीडिया पर सक्रिय तत्वें ापर भी नजर रखी जाय।

(3) आवश्यक होने पर सक्रिय व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाय और बन्द/प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बल, उपकरण तथा वाहन आदि की व्यवस्था रखी जाय।

(4) थाना स्तर से जो आसूचना प्राप्त हो पुलिस अधीक्षक उसे वरीय स्तर को तथा समय रहते पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायेंगे ताकि कुछ और आवश्यक हो तो उसकी भी व्यवस्था की जा सके। प्रदर्शन के समय **थाना प्रभारी की यह जिम्मेवारी** होगी कि वे

अपने क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के समुचित उपाय करें और प्रयास करें कि हिंसा या आगजनी की घटनाएं न हो।

(5) बन्द/प्रदर्शन के समय विडियोग्राफी करायी जाय और आपत्तिजनक घटनाएं होने पर वास्तविक रूप से संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाय और ठोस साक्ष्य संकलित कर 15 दिनों के अन्दर आरोप-पत्र समर्पित किया जाय ताकि भविष्य में अवैधानिक काम करने के प्रति लोगों में भय हो।

(6) प्रत्येक बन्द/अवसर के संबंध में वास्तविकता पर आधारित रिपोर्ट सी0डी0 पार्ट-3 में अंकित की जाय, जिसमें सक्रिय व्यक्तियों का नाम पता तथा भूमिका अंकित की जाय ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके।

(7) उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 1315, 1316 एवं 1317 में गुंडागर्दी के संबंध में प्रावधान है, जिसमें गुंडा पंजी संधारित करने, गुंडों का वर्गीकरण करने एवं उनके विरूद्ध डोसियर संधारित करने तथा निरोधात्मक कारवाई करने का विस्तार से उल्लेख है। आप से अपेक्षित है कि इन प्रावधानों के अनुरूप उपद्रवियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

कृपया इस आदेश की प्रति थाना स्तर तक परिचालित की जाय और थाना को स्पष्ट कर दिया जाय कि इन निर्देशों का पालन न किया जाना कर्तव्य की अवहेलना मानी जायेगी और अनुशासनात्मक कारवाई की जायेगी। अंचल निरीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्त कारवाई सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

8/4/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

<u>प्रतिलिपि-</u> सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक(विधि-व्यवस्था)/ रेल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनु0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

8/4/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।